सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–4) विभाग

क्रमांक – प.1(1)कार्मिक/क–4/2020 दिनांक

–:: परिपत्र ::–

कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.10.2020 द्वारा समस्त प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष को निर्देशित किया गया था कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को राजस्थान सेवा नियमों में परिभाषित किसी भी प्रकार के अवकाश, जो 02 माह या अधिक अवधि के हो, यदि स्वीकृत किये जाते है तो अधिकारी के स्वीकृत अवकाश आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि वे अवकाश समाप्ति पर अपनी उपस्थिति पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा में कार्मिक (क–4) विभाग में प्रस्तुत करेगें।

कतिपय मामलों में देखा गया है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी द्वारा अवकाश समाप्ति पश्चात जब आदेशों की प्रतीक्षा में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की जाती है, तो तत्समय उनका पूर्व पद भी अधिकारी की अनुपलब्धता के कारण रिक्त रहता है।

अतः स्पष्ट किया जाता है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जिन्हें 02 माह या अधिक अवधि के अवकाश स्वीकृत किये गये है तथा उनके अवकाश समाप्ति पश्चात भी यदि उनका पूर्व पद रिक्त रहता है, तो अधिकारी द्वारा उनके पूर्व पद पर ही कार्यग्रहण किया जावेगा। यदि अवकाशकाल के दौरान प्रशासनिक कारणों से पूर्व पद पर अन्य अधिकारी का पदस्थापन किया गया है, तो उस स्थिति में अवकाश समाप्ति पर अधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में प्रस्तुत की जावेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कनिष्क कटारिया)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजथान, जयपुर।
02. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
03. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
04. संयुक्त निदेशक, कम्पुटर सैल, कार्मिक विभाग।
05. रक्षित पत्रावली।

कमरा नं01221, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष–0141–2227347
वेबसाईट–www.dop.rajasthan.gov.in ई–मेल–itcell.dop@rajasthan.gov.in

Document certified by KANISHAK KATARIA <kanishak.ias@gmail.com>.
Digitally Signed by Kanishak Kataria
Designation : Joint Secretary To Government
Date :09-05-2025 02:06:57

RajKaj Ref No.: 15190525